

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम :-126 कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के० वी० विद्युत लाइन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 (प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.68 हे०) तक निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चमेली

तहसील पल्लकी देवी, जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 126कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के० वी० विद्युत लाइन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 तक निर्माण कार्य हेतु 1.68 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है० सिविल सोयम भूमि, 0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.68 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चमेली द्वारा दिनांक 15.12.21 को संपन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं।

132

समिति के सभी सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्तावित पारित किया गया कि ग्राम सभा पंचायत के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा कि सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर/-

ग्राम पंचायत अध्यक्ष अधिकारी
ग्राम न्याय मंडल
ग्राम सचिव नरेंद्र कुमार

हस्ताक्षर/-



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त पत्र में दिया जाए।

दिनांक २५/०२/२०२१ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चौमेली

[illegible]

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम :-126 कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के० वी० विद्युत लाइन का गुल्तर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 (प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.68 हे०) तक निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तिमली

तहसील पावकी देवी, जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 126कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के० वी० विद्युत लाइन का गुल्तर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 तक निर्माण कार्य हेतु 1.68 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है० सिविल सोयम भूमि, 0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.68 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तिमली द्वारा दिनांक 25-12-21 को संपन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदिन वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं।

समिति के सभी सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

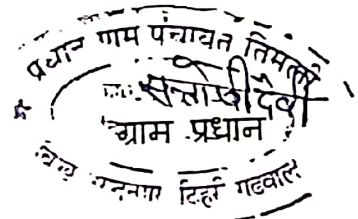
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्तावित पारित किया गया कि ग्राम सभा तिमल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा कि सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर/- 
अधिकांसी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि०
नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)

ग्राम सचिव 
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत तिहरी
वि० ख० नरेन्द्र नगर
जनपद-टिहरी गढ़वाल

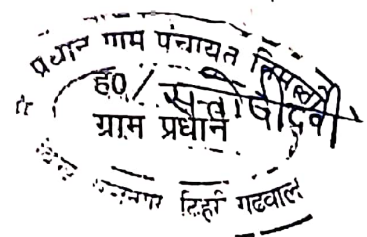
सतीषी देवी
हस्ताक्षर/-



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की जमीन प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त पत्र में दिया जाए।

दिनांक २१-१२-२१ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतहिमाली.....

[illegible]

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम :-126 कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के० वी० विद्युत लाइन का गुल्तर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 (प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.68 हे०) तक निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बलाणी

तहसील पावकी देवी जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 126कि० मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के० वी० विद्युत लाइन का गुल्तर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल T2 तक निर्माण कार्य हेतु 1.68 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है० सिविल सोयम भूमि, 0.00 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.68 है० वन भूमि का उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बलाणी द्वारा दिनांक 11/11/21 को संपन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आवेदिन वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं ।

समिति के सभी सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्तावित पारित किया गया कि ग्राम सभा बलवाणी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा कि सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर/- अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि०
नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल)

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
वि० ख० नरेंद्र नगर
जनपद-टिहरी गढ़वाल

हस्ताक्षर/-



नोट:- *यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त पत्र में दिया जाए।

दिनांक 11.11.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बाबाणी

[illegible]